कुम्भाराम – रामदेवी आदि 5.0. 128/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.3.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.6.23 को पेश हो।	
16.6.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 3.8.23 को, पेश हो।	
3.8.23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16.10.23 को पेश हो।	
16.10.23	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. रेस्पो. शेष के नोटिस रजि. पेश करने की हिदायत दी गई। पेश होने पर जारी हो। वास्ते तलबी। दिनांक 18.12.23 को पेश हो।	
18/12/23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 23/12/23 को, पेश हो।	
23/12/23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/5/24 को पेश हो।	
14.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नही है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

~~भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं~~
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर